भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4639

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ

†4639. श्री राजा राम सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं के लिए उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत बजट में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं के लिए वर्तमान में 2,000 रुपये प्रति माह निर्धारित वेतन और मासिक मानदेय को संशोधित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनएचएम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की तर्ज पर आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में संशोधन करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के तहत होती है।

देश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अलग-अलग क्रियाकलापों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है ।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आरंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता निगरानी निष्पादन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (प्रति माह 1000 तक) के लिए अतिरिक्त पात्रता रखते हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम-से-कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है :

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा)।

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.00 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 1.00 लाख रुपये का लाभ; (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000/- रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ पीएम-एसवाईएम योजना (प्रीमियम का 50% भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा योगदान) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं

को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 5 लाख रुपयो के वार्षिक स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार सभी आशा कार्यकर्ताओं तक कर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है , ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार धनराशि का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशा कार्यकलापों के लिए अलग से कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।

एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2021-22 से 2023-24 तक का वर्षवार व्यय **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4639 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के लिए व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	210.07	103.04	137.64
2	आंध्र प्रदेश	9,629.63	1,660.65	2,347.80
3	अरुणाचल प्रदेश	1,132.58	1,600.91	1,701.15
4	असम	6,941.57	11,106.50	10,890.02
5	बिहार	4,644.26	33,139.23	22,146.29
6	छत्तीसगढ़	4,330.25	23,077.21	20,372.14
7	दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	93.47	104.08	75.20
8	दिल्ली	1.86	2,068.94	1,941.23
9	गुजरात	8,237.40	14,757.27	24,825.12
10	हरियाणा	5,087.83	6,399.52	6,787.57
11	हिमाचल प्रदेश	6,345.45	6,668.99	7,684.08
12	जम्मू और कश्मीर	4,936.44	3,766.83	4,076.24
13	झारखंड	13,991.61	16,501.60	20,697.45
14	कर्नाटक	7,127.02	10,706.61	12,498.67
15	केरल	1,501.01	7,868.19	6,819.57
16	लक्षद्वीप	19.76	27.40	23.74
17	मध्य प्रदेश	27,106.79	23,526.57	22,966.49
18	महाराष्ट्र	19,326.48	23,078.27	22,076.58
19	मणिपुर	925.18	1,017.29	325.13
20	मेघालय	2,103.33	2,013.19	1,810.69
21	मिजोरम	302.25	273.32	277.57
22	नागालैंड	587.38	382.01	486.47
23	ओडिशा	16,637.43	18,855.24	19,782.08
24	पुदुचेरी	-	114.30	118.57
25	पंजाब	3,378.06	6,962.56	6,396.10
26	राजस्थान	10,390.31	10,872.31	10,360.41
27	सिक्किम	139.51	217.41	192.93
28	तमिलनाडु	1,692.44	1,004.85	645.84
29	त्रिपुरा	1,290.85	2,844.86	2,811.32
30	उत्तर प्रदेश	51,259.26	51,591.86	62,698.94
31	उत्तराखंड	4,115.20	3,743.46	5,779.41
32	पश्चिम बंगाल	2,463.77	15,030.66	20,341.69
33	तेलंगाना	9,029.61	7,423.22	7,362.46
34	लद्दाख	182.87	342.33	342.07
कुल		225,160.95	308,850.64	327,798.65

टिप्पणी:

1. गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मी मौजूद हैं।
2. व्यय राज्यों द्वारा एफएमआर में दी गई जानकारी के अनुसार तथा अनंतिम है।
3. व्यय में केन्द्रीय अंश, राज्य का संगत अंश तथा वर्ष के प्रारम्भ में प्रारंभिक शेष राशि शामिल है।
